GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

# Directorate Secondary Education
# विद्यालय शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development
School Education, Haryana
विद्यालय शिक्षा, हरियाणा
तमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

Off.: Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253
कार्यालयः शिक्षा सदन, सैक्टर 5 पंचकुला–134109 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फैक्स 91 (0172) 2560253
e-mail: edusecondaryhry@gmail.com - site: www.schooleducationharyana.gov.in

सेवा में

हरियाणा राज्य के सभी
जिला शिक्षा अधिकारी तथा
जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी।

यादी कमांक 8/27–2013 पी0एस0 (2)
दिनांक, पंचकूला: 22/5/2020

विषयः– **कोविड –19 के दृष्टिगत निजी विद्यालयों द्वारा ली जाने वाली फीस से सम्बन्धित दिशा निर्देश जारी करने बारे।**

उपरोक्त विषय पर कार्यालय आदेश दिनांक 12.04.2020, 23.04.2020 तथा 08.05.2020 की निरंतरता में।

कोविड–19 के मध्यनजर उपरोक्त संदर्भित पत्रों के तहत निजी विद्यालयों द्वारा लिए जाने वाले मासिक शुल्क/टयूशन फीस के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी किए गए थे। उन पत्रों की निरन्तरता में आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने क्षेत्राधिकार के निजी विद्यालयों में इनकी अनुपालना सुनिश्चित करें।

1. निजी विद्यालय मासिक आधार पर केवल टयूशन फीस ही लें, अन्य प्रकार के फण्ड जैसे बिलडिंग फण्ड, रखरखाव फण्ड, प्रवेश शुल्क, कम्पयूटर शुल्क आदि कोविड–19 जैसी असामान्य स्थिति के दृष्टिगत स्थगित कर दिए जाए।
2. यदि कोई अभिभावक मास अप्रैल तथा मई, 2020 की टयूशन फीस स्थगित करने का अनुरोध करता है तो स्कूल प्रबन्धक/प्रधानाचार्य द्वारा लाकडॉउन के मध्यनजर इस अनुरोध को स्वीकार किया जाए। इस स्थगित किए जाने वाली अप्रैल और मई, 2020 (दो मास) की बकाया टयूशन फीस को आगामी तीन महीनों में बराबर किश्तो के आधार पर जमा करवा लिया जाए। इसके अतिरिक्त ऐसे सभी अभिभावक जो मासिक टयूशन फीस जमा करवाने का सामर्थ्य रखते हैं तथा जिनके द्वारा टयूशन फीस स्थगित करने का औपचारिक अनुरोध नही किया गया उनसे मासिक आधार पर टयूशन फीस जमा करवा ली जाए।
3. निजी विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे सभी विधार्थी पूर्व वर्षों की भांति मासिक आधार पर मास जून 2020 से नियमित रूप से टयूशन फीस जमा करवाएंगें।
4. निजी विद्यालय मासिक आधार पर ली जानी वाली टयूशन फीस मे किसी प्रकार की वृद्वि न करें।
5. यह भी सुनिश्चित किया जाए कि निजी विद्यालय मासिक शुल्क में किसी प्रकार का hidden charge न जोडें।

6. यह भी सुनिश्चित किया जाए कि लाकडॉउन की अवधि के दौरान कोई भी निजी विद्यालय छात्रों/अभिभावकों से किसी प्रकार का यातायात शुल्क नही लेगा।
7. कोई भी निजी विद्यालय इस वर्ष स्कूल यूनिफार्म मे किसी प्रकार का बदलाव न करे।
8. कोई भी निजी विद्यालय पाठय पुस्तकों, कार्य पुस्तकों, अभ्यास पुस्तकों, प्रैक्टीकल फाईल इत्यादि में बदलाव न करें।

अतः उपरोक्त हिदायतों का सख्ती से पालन करवाया जाए।

22/5/2020
उप अधीक्षक पी0एस0
कृतेः महानिदेशक सैकण्डरी शिक्षा
हरियाणा पंचकूला।

पृष्ठांकन कमांक समः दिनांक, पंचकूला 22/5/2020

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. सभी जिला उपायुक्तों को अपने जिलों में उपरोक्त आदेशों की पालना हेतु निवेदनार्थ।
2. वरिष्ठ सचिव, मुख्यमंत्री हरियाणा।
3. वरिष्ठ सचिव, शिक्षामंत्री हरियाणा।
4. वरिष्ठ सचिव, मुख्य सचिव हरियाणा।
5. वरिष्ठ सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव स्कूल शिक्षा, हरियाणा, चण्डीगढ।
6. निजी सचिव, महानिदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा, पचंकूला।
7. निजी सहायक, निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा, पचंकूला।

22/5/2020
उप अधीक्षक पी0एस0
कृतेः महानिदेशक सैकण्डरी शिक्षा
हरियाणा पंचकूला।